

प्रारंभिक परीक्षा

भारत की वनस्पति और जीव-जंतुओं में जोड़ी गई प्रजातियाँ

संदर्भ

पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, भारत ने वर्ष 2024 में अपने जीव-जंतुओं में 683 नई प्रजातियाँ और वनस्पतियों में 433 नई प्रजातियाँ जोड़ी।

जीव-जंतु संबंधी खोजें (कुल 683) -

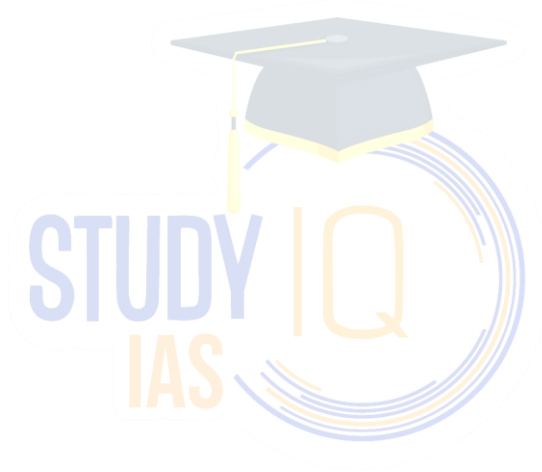
- 459 नई प्रजातियाँ
- 224 नए रिकार्ड
- इसमें 2 नई वंश (genera), 37 नई सरीसृप (reptiles) प्रजातियाँ, और 5 नई उभयचर (amphibians) प्रजातियाँ शामिल हैं।
- महत्वपूर्ण जीव-जंतु खोजें
 - एंगुइकुलस डिकैप्रियोई - साँप की प्रजाति, जिसका नाम लियोनार्डो डिकैप्रियो के नाम पर रखा गया
 - द्रविडोसेप्स गौनासी - सरीसृपों की नई प्रजाति
- जीव-जंतुओं की खोज के लिए शीर्ष राज्य -
 - केरल - 101 (80 नई प्रजातियाँ + 21 नए रिकार्ड)
 - कर्नाटक - 82 (68 + 14)
 - तमिलनाडु - 63 (50 + 13)
 - अरुणाचल प्रदेश - 72 (42+30)
 - मेघालय - 42 (25 + 17)
 - पश्चिम बंगाल - 56 (25 + 31)
 - अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह - 43 खोजें

पुष्प खोजें (433 प्रजातियाँ) -

- 410 नई प्रजातियाँ
- 23 इन्फ्रास्पेसिफिक प्रजातियाँ
- पुष्प खोज के लिए शीर्ष राज्य:
 - केरल - 58 प्रजातियाँ
 - महाराष्ट्र - 45 प्रजातियाँ
 - उत्तराखंड - 40 प्रजातियाँ
- 2024 में खोजे गए पौधों का विवरण:
 - 154 एंजियोस्पर्म
 - 4 टेरीडोफाइट्स
 - 15 ब्रायोफाइट्स
 - 63 लाइकेन
 - 32 शैवाल
 - 9 सूक्ष्मजीव
- महत्वपूर्ण पुष्प खोजें:
 - बल्बोफिलम गोपालनियानम
 - कोलोजीन ट्रिपुरेन्सिस
 - गैस्ट्रोडिया इंडिका
 - गैस्ट्रोडिया सिकिमैसिस
 - (सभी दुर्लभ ऑर्किड हैं)

अन्य महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि -

- **हॉटस्पॉट क्षेत्रों (पश्चिमी घाट और पूर्वोत्तर) ने सभी खोजों में 35% का योगदान दिया।**
- **भारत में अब तक कुल 56,177 पौधों की प्रजातियों का दस्तावेजीकरण किया जा चुका है, जिनमें शामिल हैं:**
 - एंजियोस्पर्म
 - जिम्नोस्पर्म
 - टेरिडोफाइट
 - ब्रायोफाइट्स
 - लाइकेन, शैवाल, कवक, सूक्ष्मजीव

स्रोत: [द हिंदू](#)

भाषासेतु

संदर्भ

सरकार ने 12 भारतीय भाषाओं में वास्तविक समय अनुवाद, लिप्यंतरण और ध्वनि स्थानीयकरण के लिए 'भाषा सेतु' जैसे एआई-आधारित बहुभाषी उपकरणों को बढ़ावा देने के लिए WAVEX स्टार्ट-अप चैलेंज 2025 लॉन्च किया है।

WAVEX के बारे में -

- WAVES पहल के अंतर्गत एक स्टार्टअप एक्सेलेरेटर, जो मीडिया, मनोरंजन और भाषा प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित है।
- मुंबई में आयोजित वेक्स शिखर सम्मेलन (मई 2025) में 30 से अधिक स्टार्टअप्स को शामिल किया गया है, तथा सरकारी निकायों, निवेशकों और उद्योग विशेषज्ञों के समक्ष प्रस्तुतियों को बढ़ावा दिया गया है।

WAVEX स्टार्टअप चैलेंज 2025 - 'भाषासेतु'

- लॉन्च एवं आयोजक: सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, अपने प्रमुख एक्सेलेरेटर प्लेटफॉर्म WAVEX के तहत।
- उद्देश्य: 'भाषा सेतु - भारत के लिए वास्तविक समय भाषा तकनीक' नामक एआई-संचालित बहुभाषी भाषा समाधान बनाने के लिए स्टार्टअप्स के लिए एक राष्ट्रीय हैकथॉन।

चुनौती का दायरा और विशेषताएं -

- वास्तविक समय अनुवाद, लिप्यंतरण और ध्वनि स्थानीयकरण के लिए समर्थन
- कम से कम 12 प्रमुख भारतीय भाषाओं पर ध्यान देना होगा
- समावेशी, भावना-जागरूक संचार का लक्ष्य।

पात्रता और तकनीकी दिशानिर्देश -

- कोई न्यूनतम पात्रता मानदंड नहीं - किसी भी विकास स्तर पर स्टार्टअप के लिए खुला
- ओपन-सोर्स या कम लागत वाली AI का उपयोग करके स्केलेबल, लागत प्रभावी समाधानों को प्रोत्साहित करता है
- स्वामित्व मॉडल की अनुमति केवल तभी दी जाएगी जब वह व्यापक उपयोग के लिए किफायती और व्यावहारिक हो।

विजेताओं के लिए समर्थन -

- विजेता को WAVEX एक्सेलेरेटर के माध्यम से इनक्यूबेशन सहायता प्राप्त होगी:
 - मार्गदर्शन
 - कार्यस्थल की सुविधा
 - विकास सहायता

स्रोत: [द हिंदू](#)

क्या जीआई टैग सांस्कृतिक दुरुपयोग को रोक सकता है?

संदर्भ

इतालवी लक्जरी ब्रांड प्राडा(Prada) ने मिलान में अपने स्प्रिंग/समर 2025 शो में भारत के जीआई-टैग वाले कोल्हापुरी चप्पलों से प्रेरित जूते प्रदर्शित किए, जिससे सांस्कृतिक दुरुपयोग के आरोप लगे और भौगोलिक संकेतक(GI) की वैश्विक प्रवर्तनीयता पर सवाल उठे।

भौगोलिक संकेतक(GI) क्या है?

- **भौगोलिक संकेतक एक प्रकार की बौद्धिक संपदा है।**
- यह वस्तुओं को एक विशिष्ट स्थान से उत्पन्न होने वाले के रूप में पहचानता है, जहां:
 - उनकी गुणवत्ता, प्रतिष्ठा या विशेषताएं अनिवार्य रूप से उस मूल स्थान से जुड़ी होती हैं।
- भारत में, जीआई में निम्नलिखित उत्पाद शामिल हैं:
 - चंदेरी साड़ियाँ (मध्य प्रदेश)
 - मधुबनी पेंटिंग (बिहार)
 - पश्मीना शॉल (जम्मू एवं कश्मीर)
 - कांचीपुरम साड़ी (तमिलनाडु)
 - दार्जिलिंग चाय (पश्चिम बंगाल)
- **जीआई सार्वजनिक संपत्ति है, जिसका स्वामित्व सामूहिक रूप से उत्पादक समूहों के पास है, न कि व्यक्तिगत कंपनियों के पास।**

उल्लंघन से कैसे निपटा जा सकता है?

- पंजीकृत उपयोगकर्ता या उत्पादक कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं यदि:
 1. कोई संस्था किसी उत्पाद की उत्पत्ति के बारे में उपभोक्ताओं को गुमराह करती है।
 2. जीआई स्थिति के बारे में अनुचित प्रतिस्पर्धा, पासिंग ऑफ या झूठे दावे हैं।
- जीआई प्रादेशिक हैं:
 1. संरक्षण पंजीकरण के देश तक ही सीमित है।
 2. कोई स्वचालित अंतर्राष्ट्रीय जीआई संरक्षण मौजूद नहीं है।
- सीमा पार सुरक्षा निम्नलिखित तरीकों से की जा सकती है:
 1. मूल देश में मान्यता प्राप्त करना।
 2. अन्य अधिकार क्षेत्रों में संरक्षण के लिए आवेदन करना।
- पेरिस कन्वेंशन और ट्रिप्स समझौते जैसे ढांचे पर आधारित।

सांस्कृतिक दुर्विनियोजन के उल्लेखनीय मामले -

- **2026:** प्राडा ने कोल्हापुरी चप्पलों से प्रेरित जूते प्रदर्शित किए → सांस्कृतिक दुरुपयोग के दावे उठे।
- **1997:** यूएसपीटीओ ने बासमती चावल की प्रजातियों और अनाजों के लिए राइसटेक को पेटेंट प्रदान किया (भारत के विरोध के बाद इसे रद्द कर दिया गया)।
- **1995:** हल्दी के उपचारात्मक गुणों के लिए अमेरिकी पेटेंट प्रदान किया गया → भारत द्वारा चुनौती दी गई।
- **2000:** यूरोपीय पेटेंट कार्यालय ने नीम आधारित औषधियों पर अमेरिकी पेटेंट रद्द कर दिया।

स्रोत: [द हिंदू](#)

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP)

संदर्भ

भारत के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) की वृद्धि मई 2025 में घटकर सिर्फ 1.2% रह गई, जो पिछले 9 महीनों का सबसे निचला स्तर है।

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) के बारे में -

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) एक महत्वपूर्ण आर्थिक संकेतक है जो भारत में विभिन्न क्षेत्रों में औद्योगिक उत्पादन की मात्रा में अल्पकालिक परिवर्तनों को ट्रैक करता है। यह विनिर्माण, खनन और बिजली उत्पादन में मासिक रुझानों को कैप्चर करके देश के औद्योगिक स्वास्थ्य का आकलन करने में मदद करता है।

- IIP आंकड़े सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) के तहत केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (CSO) द्वारा जारी किए जाते हैं।
- वर्तमान आधार वर्ष 2011-12 है, जिसे विकसित औद्योगिक संरचना और उत्पादन गतिशीलता को बेहतर ढंग से प्रतिबिंबित करने के लिए अपनाया गया था।

IIP की क्षेत्रीय संरचना (भार के अनुसार) -

- विनिर्माण – 77.63% (809 आइटम को कवर करता है)
- खनन – 14.37% (29 आइटम)
- बिजली – 7.99% (1 आइटम)

नवीनतम IIP अपडेट (मई 2025) -

- IIP घटकर 1.2% पर आ गई, जो 9 महीनों में सबसे कम है, मुख्यतः निम्नलिखित कारणों से:
 - विनिर्माण विकास में मंदी, जो आधी होकर 2.6% हो गई (मई 2024 में 5.1% से)
 - खनन और बिजली उत्पादन में संकुचन
- पिछली बार IIP अगस्त 2024 में कम थी, जब इसमें सिर्फ 0.1% की वृद्धि हुई थी।

आठ कोर उद्योग (IIP में भार: 40.27%) -

ये प्रमुख बुनियादी ढांचा क्षेत्र हैं जो IIP को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं:

1. रिफाइनरी उत्पाद
2. बिजली
3. इस्पात
4. कोयला
5. कच्चा तेल
6. प्राकृतिक गैस
7. सीमेंट
8. उर्वरक

स्रोत: [द हिंदू](#)

संपादकीय सारांश

भारतीय पंथनिरपेक्षता

संदर्भ

उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि आपातकाल के दौरान संविधान की प्रस्तावना में "समाजवादी" और "पंथनिरपेक्ष" शब्दों को शामिल करना "सनातन की भावना का अपमान" था।

संविधान में पंथनिरपेक्षता का क्या अर्थ है?

- यह वह सिद्धांत है जो राज्य और धर्मों के बीच संबंधों को निर्देशित करता है तथा यह सुनिश्चित करता है कि राज्य धार्मिक मामलों में तटस्थ रहे।
- यह राज्य के कामकाज में धार्मिक संस्थाओं के प्रभाव को प्रतिबंधित करता है तथा सभी धर्मों के अनुयायियों को समान व्यवहार और स्वतंत्रता की गारंटी देता है।

भारतीय संविधान में "पंथनिरपेक्षता" शब्द का कालक्रम

वर्ष/अवधि	घटना/मामला	पंथनिरपेक्षता से संबंधित विकास
1946-1950	संविधान का प्रारूपण	पंथनिरपेक्ष सिद्धांत अंतर्निहित हैं, शब्द शामिल नहीं है
1950	संविधान अपनाया गया	प्रस्तावना में "पंथनिरपेक्ष" शब्द हटा दिया गया
1973	केशवानंद भारती मामला	पंथनिरपेक्षता को "मूलभूत विशेषता" घोषित किया गया
1976	42वां संशोधन	प्रस्तावना में "पंथनिरपेक्ष" शब्द जोड़ा गया
1994	एसआर बोम्मई मामला	पंथनिरपेक्षता को "मूलभूत विशेषता" के रूप में पुनः पुष्टि की
2024	सुप्रीम कोर्ट का फैसला	'पंथनिरपेक्ष' शब्द को शामिल करने की चुनौती खारिज

क्या पंथनिरपेक्षता धर्म-विरोधी है?

- पंथनिरपेक्षता का मतलब है कि राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं है और वह सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करता है।
- यह सभी के लिए धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करता है - व्यक्तियों को किसी भी धर्म का पालन करने, उसे मानने और उसका प्रचार करने या किसी भी धर्म का पालन न करने की अनुमति देता है।
- भारतीय संदर्भ में, पंथनिरपेक्षता धर्म के विरुद्ध नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करती है कि राज्य द्वारा किसी भी धर्म को विशेष वरीयता न दी जाए।
- पंथनिरपेक्षता धर्म के प्रति तटस्थ है - यह न तो धर्म समर्थक है और न ही धर्म विरोधी।

पंथनिरपेक्षता से संबंधित संवैधानिक प्रावधान

अनुच्छेद	प्रावधान	पंथनिरपेक्ष सिद्धांत
अनुच्छेद 14	कानून के समक्ष समानता और कानूनों का समान संरक्षण	राज्य द्वारा धार्मिक आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है।
अनुच्छेद 15	धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है	धर्म की परवाह किए बिना सार्वजनिक स्थानों और अवसरों तक समान पहुंच सुनिश्चित करता है।

पंथनिरपेक्षता से संबंधित संवैधानिक प्रावधान		
अनुच्छेद 16	सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता	सरकारी नौकरियों में धर्म के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है।
अनुच्छेद 17	अस्पृश्यता का उन्मूलन	विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच सामाजिक समानता को बढ़ावा देता है।
अनुच्छेद 25	अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को स्वतंत्र रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार	सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है।
अनुच्छेद 26	धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता	धार्मिक सम्प्रदाय धर्म के मामलों में अपने स्वयं के मामलों का प्रबंधन कर सकते हैं।
अनुच्छेद 27	किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए कराधान से मुक्ति	किसी भी व्यक्ति को धर्म के प्रचार के लिए कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।
अनुच्छेद 28	राज्य द्वारा वित्तपोषित शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध	शैक्षिक परिवेश में राज्य की तटस्थता सुनिश्चित करता है।
अनुच्छेद 29	अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण	अल्पसंख्यकों के अपनी संस्कृति और धर्म को संरक्षित रखने के अधिकार की रक्षा करता है।
अनुच्छेद 44	सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता की वकालत	पर्सनल लॉ के मामलों में पंथनिरपेक्ष शासन को बढ़ावा देना, हालांकि इसे अभी तक लागू नहीं किया गया है

क्या पंथनिरपेक्षता अंतर-धार्मिक और अंतर-धार्मिक वर्चस्व के विरुद्ध है?

- **अंतर-धार्मिक प्रभुत्व के विरुद्ध:** पंथनिरपेक्षता किसी भी ऐसी स्थिति का विरोध करती है जहां एक धर्म दूसरे पर प्रभुत्व रखता है या भेदभाव करता है।
 - यह सभी धर्मों के प्रति समान सम्मान और संरक्षण पर जोर देता है।
 - **उदाहरण:** भारतीय संविधान धर्म के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है (अनुच्छेद 15)।
- **अंतर-धार्मिक वर्चस्व के खिलाफ:** पंथनिरपेक्षता एक ही धार्मिक समूह के भीतर उत्पीड़न या वर्चस्व का विरोध करती है।
 - यह राज्य को उस स्थिति में हस्तक्षेप करने की अनुमति देता है, जब किसी धर्म के अंतर्गत होने वाली प्रथाएं बुनियादी मानव अधिकारों, सम्मान या समानता का उल्लंघन करती हों।
 - **उदाहरण:** भारत में अस्पृश्यता को समाप्त करना और व्यक्तिगत कानूनों में सुधार करना (जैसे, सती प्रथा उन्मूलन, तीन तलाक निर्णय)।

भारतीय और पश्चिमी पंथनिरपेक्षता के बीच अंतर

पहलू	भारतीय पंथनिरपेक्षता	पश्चिमी पंथनिरपेक्षता
परिभाषा	सभी धर्मों के प्रति समान सम्मान और व्यवहार; धर्म-विरोधी नहीं	धर्म और राज्य के बीच पूर्ण पृथक्करण
राज्य की भूमिका	समानता और सुधार सुनिश्चित करने के लिए राज्य धर्म में हस्तक्षेप कर सकता है	राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का सख्त नियम बनाए रखता है

धार्मिक स्वतंत्रता	व्यक्तियों और अल्पसंख्यकों दोनों के लिए धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी	व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता पर ध्यान केंद्रित करना
कानून और धर्म	कानून विविध धार्मिक प्रथाओं (व्यक्तिगत कानून, आदि) को समायोजित करता है।	कानून धार्मिक सिद्धांतों से स्वतंत्र रूप से तैयार किए जाते हैं
शिक्षण संस्थान	धार्मिक अल्पसंख्यक अपनी संस्थाएं चला सकते हैं और उनके लिए सहायता प्राप्त कर सकते हैं	राज्य धार्मिक शैक्षणिक संस्थानों को वित्तपोषित नहीं कर सकता
राज्य की भागीदारी	राज्य सुधार और सामाजिक न्याय के लिए धर्मों के साथ जुड़ सकता है	राज्य केवल तभी हस्तक्षेप करता है जब धर्म कानून का उल्लंघन करता है
कानूनों की एकरूपता	व्यक्तिगत कानून धर्म के अनुसार अलग-अलग होते हैं (जैसे, विवाह, उत्तराधिकार)	सभी नागरिकों के लिए एकल, समान कानून संहिता
सामाजिक संरचना	बहु-धार्मिक, बहु-जाति समाज; अंतर-धार्मिक और अंतर-धार्मिक समानता पर ध्यान केंद्रित करना	मुख्यतः एकल-धार्मिक; ध्यान आमतौर पर अंतर-धार्मिक होता है
अल्पसंख्यक अधिकार	अल्पसंख्यकों के धार्मिक अधिकारों का स्पष्ट संरक्षण और संवर्धन	अल्पसंख्यक समानता पर अक्सर कम जोर दिया जाता है
राजनीतिक प्रभाव	धार्मिक समूहों का राजनीति और मतदान पर प्रभाव हो सकता है	राजनीतिक प्रक्रियाओं में धर्म का न्यूनतम प्रभाव
धर्म की अभिव्यक्ति	खुले अभ्यास और सार्वजनिक प्रदर्शन की अनुमति	सार्वजनिक प्रदर्शन हतोत्साहित; धर्म अधिकतर निजी

भारत में पंथनिरपेक्षता से जुड़ी चुनौतियाँ क्या हैं?

- **सांप्रदायिकता और धार्मिक हिंसा:** इनमें से कई दंगे धार्मिक त्योहारों के दौरान या पूजा स्थलों पर विवाद के कारण भड़के, जिसके परिणामस्वरूप मौतें हुईं और लक्षित हिंसा हुई।
 - **उदाहरण के लिए,** 2024 में भारत में पिछले वर्ष की तुलना में सांप्रदायिक दंगों में 84% की वृद्धि देखी गई।
- **धर्म का राजनीतिकरण:** धार्मिक पहचान का उपयोग जनमत और चुनावों को प्रभावित करने के लिए एक राजनीतिक उपकरण के रूप में किया जाता है।
 - **उदाहरण के लिए,** 1992 में बाबरी मस्जिद का विध्वंस और उसके बाद राम जन्मभूमि आंदोलन के इर्द-गिर्द राजनीतिक लामबंदी।
- **अल्पसंख्यकों के विरुद्ध भेदभाव:** धर्मांतरण विरोधी कानून (जैसे, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश) और गोहत्या विरोधी कानूनों का अक्सर मुसलमानों, ईसाइयों और दलितों के विरुद्ध भेदभाव करने के लिए उपयोग किया जाता है, जिससे उनकी आजीविका और धार्मिक स्वतंत्रता प्रभावित होती है।
- **शैक्षिक एवं सांस्कृतिक पूर्वाग्रह:** जब शैक्षिक सामग्री किसी एक धार्मिक आख्यान का पक्ष लेती है तो पंथनिरपेक्ष मूल्य कमजोर हो जाते हैं।
 - **उदाहरण के लिए,** एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों में किए गए संशोधनों पर "भगवाकरण" का आरोप लगाया गया है, जो ऐतिहासिक समझ को विकृत करते हैं और अल्पसंख्यक दृष्टिकोण को हाशिए पर डालते हैं।
- **सामाजिक चुनौतियाँ:** धार्मिक समूहों के बारे में गहरे बैठे पूर्वाग्रह, मिथक और रूढ़िवादिता विभाजन को बढ़ावा दे रही है।

आगे की राह -

- **शिक्षा के माध्यम से संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा देना:** स्कूल पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों में पंथनिरपेक्ष और संवैधानिक मूल्यों को एकीकृत करना।

- छात्रों में आलोचनात्मक सोच और विविधता के प्रति सम्मान को प्रोत्साहित करना।
- **उदाहरण:** "एक भारत श्रेष्ठ भारत" जैसे कार्यक्रम सांस्कृतिक समझ को बढ़ावा देते हैं।
- **कानूनों का निष्पक्ष प्रवर्तन:** यह सुनिश्चित करना कि कानून सभी पर समान रूप से लागू हो, चाहे उनका धर्म या समुदाय कुछ भी हो।
 - राज्य संस्थाओं (पुलिस, अदालतें, प्रशासन) को बिना किसी पूर्वाग्रह के कार्य करना चाहिए, विशेषकर सांप्रदायिक तनाव के दौरान।
 - **उदाहरण:** घृणास्पद भाषण और हिंसा के विरुद्ध त्वरित कार्रवाई, चाहे अपराधी का धर्म कुछ भी हो।
- **धर्म के राजनीतिकरण पर अंकुश लगाना:** राजनीति में धार्मिक अपीलों की निगरानी और दंड देने के लिए चुनाव आयोग की भूमिका को मजबूत करना।
 - राजनीतिक दलों को धर्म के नाम पर वोट मांगने से रोकना (सुप्रीम कोर्ट के 2017 के दिशानिर्देशों के अनुसार)।
- **अंतर-धार्मिक संवाद और सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देना:** स्थानीय, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर अंतर-धार्मिक संवाद के लिए मंच उपलब्ध कराना।
 - गैर सरकारी संगठन, सामुदायिक नेता और मीडिया मिथकों को दूर करने और समझ को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
- **एकरूपता के लिए व्यक्तिगत कानूनों में सुधार:** विविधता का सम्मान करते हुए समानता सुनिश्चित करने के लिए परामर्शात्मक, क्रमिक तरीके से समान नागरिक संहिता की ओर बढ़ना।
 - लैंगिक न्याय और मानवाधिकारों पर ध्यान केंद्रित करें, किसी समुदाय की पहचान को कमजोर करने पर नहीं।
- **अल्पसंख्यक अधिकारों की रक्षा:** अलगाव को रोकने के लिए धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों और हितों की सक्रिय रूप से रक्षा करना।
 - यह सुनिश्चित करना कि अल्पसंख्यक शैक्षणिक और सांस्कृतिक संस्थान भेदभाव और अनुचित हस्तक्षेप से मुक्त हों।
- **समावेशी विकास को बढ़ावा देना:** धार्मिक विभाजन को बढ़ावा देने वाली शिकायतों को कम करने के लिए किसी भी समुदाय के आर्थिक और सामाजिक हाशिए पर होने की समस्या का समाधान करना।
 - **उदाहरण:** अल्पसंख्यक कल्याण, छात्रवृत्ति और कौशल विकास पर केन्द्रित सरकारी योजनाएं।
- **मीडिया की जिम्मेदारी:** मीडिया को संवेदनशील तरीके से रिपोर्टिंग करनी चाहिए और धार्मिक मुद्दों पर सनसनी फैलाने से बचना चाहिए।
 - ऑनलाइन गलत सूचना और घृणास्पद भाषण का मुकाबला करने के लिए मीडिया साक्षरता को प्रोत्साहित करना।

पिछले वर्ष के प्रश्न

- एक पंथनिरपेक्ष राज्य के रूप में भारत पर चर्चा करें और अमेरिकी संविधान के पंथनिरपेक्ष सिद्धांतों से तुलना करें। [2024]
- क्या सहिष्णुता, आत्मसात और बहुलवाद भारतीय पंथनिरपेक्षता के निर्माण में प्रमुख तत्व हैं? अपने उत्तर का औचित्य बताइए। [2022]
- पंथनिरपेक्षता के नाम पर हमारी सांस्कृतिक प्रथाओं के लिए क्या चुनौतियाँ हैं? [2019]
- पंथनिरपेक्षता की भारतीय अवधारणा पश्चिमी पंथनिरपेक्षता मॉडल से किस प्रकार भिन्न है? चर्चा करें। [2018]
- पंथनिरपेक्षता पर भारतीय बहसों पश्चिमी बहसों से किस प्रकार भिन्न हैं? [2014]

स्रोत: [इंडियन एक्सप्रेस](#)

मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण

संदर्भ

चुनाव आयोग ने बिहार चुनाव से पहले 'विशेष गहन पुनरीक्षण' शुरू किया।

मतदाता सूची संशोधन के प्रकार -

- **गहन पुनरीक्षण:** मतदाता सूची का पूर्ण पुनरीक्षण, पिछली सूचियों का संदर्भ लिए बिना नए सिरे से किया गया।
 - बूथ स्तर के अधिकारी सटीकता सुनिश्चित करने के लिए कम से कम दो दौर का घरेलू सत्यापन करते हैं।
 - भारतीय निर्वाचन आयोग (ईसीआई) जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 21(3) के प्रावधानों के तहत मतदाता सूचियों का "विशेष गहन पुनरीक्षण" (एसआईआर) करता है।
- **संक्षिप्त पुनरीक्षण:** इसमें नया रोल बनाने के बजाय मौजूदा रोल को अद्यतन करना शामिल है।
 - घर-घर जाकर सत्यापन नहीं किया जाता; अंतिम प्रकाशन से पहले प्राप्त दावों और आपत्तियों के आधार पर परिवर्तन शामिल किए जाते हैं।
- **विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण:** यदि महत्वपूर्ण अशुद्धियाँ या अपर्याप्त जानकारी पाई जाती है तो चुनाव आयोग द्वारा आदेश दिया जाता है।
 - बेहतर सटीकता के लिए EC आवश्यकतानुसार मानक प्रक्रिया में संशोधन कर सकता है।
- **आंशिक रूप से गहन और आंशिक रूप से संक्षिप्त पुनरीक्षण:** एक मिश्रित दृष्टिकोण, जिसमें मसौदा नामावली प्रकाशित की जाती है, चुनिंदा क्षेत्रों का घरेलू दौरों के माध्यम से सत्यापन किया जाता है, तथा दावे/आपत्ति प्रक्रिया का पालन किया जाता है।

भारत में मतदाता सूची संशोधन का कालक्रम -

- **1950:** जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 23 में 1 मार्च को अर्हक तिथि मानकर वार्षिक पुनरीक्षण का प्रावधान किया गया।
- **1952:** प्रथम आम चुनाव के बाद, चुनाव आयोग ने प्रत्येक राज्य के पांचवें हिस्से को कवर करने के लिए वार्षिक संशोधन का निर्देश दिया, ताकि अगले चुनावों से पहले पूर्ण संशोधन सुनिश्चित हो सके।
- **1956:** वार्षिक गहन पुनरीक्षण को शहरी क्षेत्रों, प्रवासी श्रमिकों वाले क्षेत्रों और बड़ी जनसंख्या परिवर्तन वाले इलाकों में लक्षित किया गया।
- **1957:** लोकसभा चुनावों के बाद, चुनाव आयोग ने अगले तीन वर्षों तक प्रत्येक वर्ष राज्य क्षेत्र के एक-तिहाई हिस्से के लिए गहन पुनरीक्षण का निर्देश दिया; 1961 में शहरी और प्रवासी क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया।
- **1960:** संशोधनों के फलस्वरूप 1 जनवरी से 31 जनवरी के बीच वार्षिक रोल संशोधन किया गया।
- **1962:** चुनाव के बाद, 1963 और 1964 के लिए सारांश संशोधन पर्याप्त माना गया। 1965 में देश के 40% हिस्से के लिए और 1966 में शेष 60% हिस्से के लिए गहन संशोधन फिर से शुरू हुआ।
- **1966:** जिला निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किये गये; 1969-70 और 1975 में संक्षिप्त संशोधन हुए।
- **1976:** आपातकाल के कारण कोई लोकसभा चुनाव नहीं हुआ; इसके स्थान पर संक्षिप्त पुनरीक्षण कराया गया।
- **1983:** 1985 के आम चुनावों से पहले ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्रों के लिए चरणबद्ध गहन पुनरीक्षण शुरू हुआ।
- **1987-88:** सभी निर्वाचन क्षेत्रों में गहन पुनरीक्षण किया गया; 1989 में एक विशेष पुनरीक्षण किया गया।
- **1992:** संक्षिप्त संशोधन का आदेश दिया गया, जिसके बाद 1993 में गहन संशोधन किया गया और EPIC कार्ड की शुरुआत की गई।
- **1995:** गहन संशोधन लागू किया गया।
- **1999-2000:** कम्प्यूटरीकरण के कारण इन वर्षों में कोई गहन संशोधन नहीं हुआ।
- **2002:** 20 राज्यों में विशेष गहन संशोधन हुआ; 2003-04 में 7 राज्यों में गहन संशोधन हुआ।

मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण से संबंधित मुद्दे -

- **संभावित सामूहिक मताधिकार से वंचित होना:** बड़ी संख्या में पात्र मतदाता, विशेष रूप से गरीब, अशिक्षित और हाशिए पर पड़े लोग, आवश्यक दस्तावेजों (जैसे जन्म प्रमाण पत्र, मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र, पासपोर्ट) की कमी के कारण वंचित हो सकते हैं।
 - बिहार में दस्तावेजीकरण की कम दर का अर्थ है कि लाखों लोग अपना संवैधानिक मताधिकार खो सकते हैं।
- **प्रशासनिक व्यवहार्यता और समयसीमा:** इस कार्य का स्तर बहुत बड़ा है (अकेले बिहार में लगभग 4.7 करोड़ लोग) तथा समयसीमा भी सीमित है (केवल एक महीना)।
 - निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों के पास इतने कम समय में इतनी बड़ी संख्या में आवेदनों को संसाधित करने और सत्यापित करने की क्षमता नहीं होती, जिसके कारण त्रुटियां होती हैं या आवेदन खारिज हो जाते हैं।
- **राज्य की क्षमता की विफलता के कारण बहिष्कार:** कई नागरिकों के पास दस्तावेजों का अभाव है, जो व्यक्तिगत गलती के कारण नहीं है, बल्कि इसलिए है क्योंकि राज्य जन्म पंजीकरण, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा या समय पर प्रमाण पत्र प्रदान करने में विफल रहा है।
 - प्रशासनिक कमियों के लिए नागरिकों को दंडित करना अन्यायपूर्ण है।
- **सुलभ दस्तावेजों का अभाव:** आधार और राशन कार्ड, जो व्यापक रूप से प्रचलित हैं, को प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है, जबकि कम सामान्य दस्तावेजों को अनुमति दी जाती है।
 - इससे सबसे गरीब और सबसे कमजोर लोगों पर बोझ बढ़ जाता है, जिनके पास "कुलीन" दस्तावेज होने की संभावना सबसे कम होती है।
- **प्रवासन और मृत्यु का उचित हिसाब नहीं:** 2003 की सूची में स्थायी प्रवासियों और मृत व्यक्तियों की बड़ी संख्या के कारण अनुमान विकृत हो जाते हैं और इस बात को लेकर भ्रम पैदा हो जाता है कि किसे पुनः आवेदन करना होगा।
 - जो प्रवासी एक राज्य से दूसरे राज्य में चले गए हैं, उन्हें उनके नए और पुराने दोनों निर्वाचन क्षेत्रों से बाहर रखा जा सकता है।
- **हाशिए पर पड़े समूहों पर असंगत प्रभाव:** महिलाएं, अल्पसंख्यक और वंचित जातियां - जिनके पास पहले से ही कम दस्तावेज और कम शैक्षिक योग्यता है - उनके बहिष्कृत होने का जोखिम अधिक है।

आगे की राह -

- **स्वीकार्य दस्तावेजों की सूची का विस्तार करना:** पहचान और निवास के प्रमाण के रूप में आधार कार्ड, राशन कार्ड और मनरेगा जॉब कार्ड जैसे व्यापक रूप से उपलब्ध दस्तावेजों को शामिल करना।
 - प्रक्रिया को अधिक समावेशी बनाने के लिए कठोर आवश्यकताओं में ढील देना।
- **आउटरीच और सहायता को मजबूत करना:** लोगों को दस्तावेज एकत्र करने और जमा करने में सहायता करने के लिए, विशेष रूप से ग्रामीण और हाशिए के क्षेत्रों में, घर-घर जाकर अभियान, विशेष शिविर और सहायता डेस्क का आयोजन करना।
- **प्रस्तुतीकरण और सत्यापन के लिए समय-सीमा में वृद्धि:** दस्तावेजों को प्रस्तुत करने और संशोधन पूरा करने की अवधि को बढ़ाएं, ताकि संग्रह, जांच और त्रुटियों में सुधार के लिए पर्याप्त समय मिल सके।
- **मौजूदा डेटाबेस और प्रौद्योगिकी का उपयोग करना:** जहां संभव हो, पात्र नागरिकों का क्रॉस-सत्यापन और स्वतः नामांकन करने के लिए मौजूदा सरकारी डेटाबेस (जैसे आधार, एनपीआर और कल्याणकारी योजना सूची) का लाभ उठाएं।
- **स्वतंत्र एवं पारदर्शी निगरानी:** संशोधन प्रक्रिया की निगरानी करने तथा शिकायतों का शीघ्रता से समाधान करने के लिए स्वतंत्र समितियों (नागरिक समाज की भागीदारी के साथ) का गठन किया जाएगा।
- **कमजोर समूहों के लिए लक्षित समर्थन:** केंद्रित हस्तक्षेप और सरलीकृत प्रक्रियाओं के माध्यम से महिलाओं, गरीबों, अल्पसंख्यकों और हाशिए के समुदायों को शामिल करने को प्राथमिकता दी जाएगी।
- **आवधिक और वृद्धिशील संशोधन:** अचानक, बड़े पैमाने पर बहिष्करण से बचने के लिए, एक बार के बड़े पैमाने पर बदलाव के बजाय क्रमिक, निरंतर संशोधन दृष्टिकोण अपनाएं।

स्रोत: [इकोनॉमिक टाइम्स](#), [द हिंदू](#)